कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक 328/ दो–11–05/2023 रायगढ़, दिनांक 09.08.2024

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 294 दिनांक 23.07.2024 में चयनित अभ्यर्थियों में से स्वालिया अंजुम आत्मज श्री सादिक शेख के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन कमांक 1712/भर्ती समिति/2023 दिनांक 03.06.2023 के परिपेक्ष्य में चयन समिति की अनुशंसा के अनुरूप प्रतिक्षा सूची के अनुसार नीचे उल्लेखित वर्ग के **द्वितीय** अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण दिनांक से **सहायक ग्रेड–03 के पद पर सातवें वेतनमान में वेतन लेबल 4 (19500 से 62000) में** 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:–

क्र.	नाम व पिता का नाम	निवास का पता	चयनित संवर्ग
1	सोनम परवीन आत्मज शेख मुस्ताक	C/o फिदा हुसैन, मधुबन पारा, रायगढ़ 496001	अनारक्षित (महिला)

=//नियुक्ति की शर्ते//=

1. उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस. एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।
2. चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 20.08.2024 अथवा उसके पूर्व आवश्यक रूप से समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज, लेकर पदभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, रायगढ़ में सुबह 10.30 बजे से 5.30 बजे तक उपस्थित होवें।
3. छ.ग. शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 33/2023 के ज्ञापन कमांक 571/260/वि./नि./चार/ 2020 दिनांक 12.09.2023 के अनुसार उन्हें 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
4. चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करने के समय मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा हेतु योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अयोग्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
5. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराये जाने एवं पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने पर सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेंगी ।
6. चयनित अभ्यर्थी किसी राजनीतिक दल एवं उनके किया–कलाप से सम्बन्ध नहीं रखेंगे।
7. चयनित अभ्यर्थी पदभार ग्रहण करने के पश्चात् किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेंगे।
8. चयनित अभ्यर्थी पदभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ की अनुमति के बिना अन्य किसी पद के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे तथा अध्ययन जारी नहीं रख सकेंगे।
9. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, उभयपक्ष द्वारा एक माह का वेतन अथवा एक माह पूर्व नोटिस देकर सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
10. चयनित अभ्यर्थी को अनिवार्यतः दिनांक 20.08.2024 तक पदभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जायेगा।

सही/

(जितेन्द्र कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र. 3467 दो–11–05 / 2023 रायगढ, दिनांक 09.08.2024

1 रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

2 सोनम परवीन आत्मज शेख मुस्ताक निवासी C/o फिदा हुसैन, मधुबन पारा, रायगढ़ पिन–496001

3 लेखापाल, कार्यालय अनुभाग, जिला न्यायालय, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4 जिला नाजिर, जिला न्यायालय, रायगढ़ की ओर न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।

5 सहायक प्रोगामर, जिला न्यायालय, रायगढ़ की ओर न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

09/8/2024

(जितेन्द्र कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़ (छ.ग.)